

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लै० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय— डा० मनोज कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को पेंशन, उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि डा० मनोज कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को वार्षिक सेवा निवृत्ति के पश्चात उन्हें अनुमान्य पेंशन, उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। डा० मनोज कुमार चौधरी की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.12.2024 है।

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा० मनोज कुमार चौधरी से की जाएगी ।

3) इस पत्र के साथ सलग्न अनुलग्नक—

- (क) पेन्शन—प्रपत्र ४ की दो प्रति ।
- (ख) सयुक्त फोटो ।
- (ग) हस्ताक्षर का नमूना ।
- (घ) पारिवारिक सदस्यों की सूची ।
- (ड) पेशन/उपदान की गणना तालिका ।
- (च) पेशन रूपान्तरण की स्वीकृति ।
- (छ) अतिम घेतन प्रमाण—पत्र ।
- (ज) सेता! इतिहास ।
- (झ) विभागीय बकाया रहित प्रमाण पत्र ।
- (ञ) भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत आवास बकाया रहित प्रमाण पत्र
- (ट) विभागीय बकाया रहित प्रगाण पत्र ।

4) अनुरोध है कि सभी बकाये के सबध में अपने रत्तर से पूर्णत रसुष्ट हो लने के उपरान्त ही प्राधिकार—पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

दिश्वासभाजन,

ह०/—

(शैलेश कुमार)

ज्ञापाक:

२४(३)

/ स्वा०, पटना, दिनांक

२०।०।१५

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०क००) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० मनोज कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता—आर०वी०एस०रोड, भिखनपुर, गुमटी नं०-०३, भागलपुर, पिन-८१२००३, मो० नं० ९९०५९५९१८२ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

डा० मनोज कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना से अनुरोध है कि दीर्घकालीन बकाया रहित प्रमाण पत्र अपने रत्तर से सीधे महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाए ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-२,७,८,९ एवं १० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव